उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-47/2021/502प्र0स0/92-2-21-50 ई-फाइल/2021
लखनऊ :: दिनांक:: 27 दिसम्बर 2021

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-हरदोई में मनरेगा/कन्वेंजेन्स के अंतर्गत विकास खण्ड-माधोगंज में ऑगनबाडी केन्द्र क्योटी ख्वाजगीर, भिठाई, रूदामऊ तथा विकास खण्ड-टडियॉवा में ऑगनबाडी केन्द्र कोटरा, अजीजपुर, गढी एवं बरगवॉ के निर्माण कार्यो में पायी गयी कमियों में सुधार नहीं कराये जाने, निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का अनुपात मानक/विशिष्टियों के अनुसार नहीं होने/कराये जाने, निर्माण कार्य में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की ईटों का प्रयोग करने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, 02 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद कार्य अधूरा रहने एवं तकनीकी समिति की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर के बाद भी कोई प्रभावी कार्यवाही न कराये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने हेतु श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हरदोई के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित करते हुये सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हरदोई को विभागीय पक्ष/ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-47/2021/502प्र0स0(1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-1575/ ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/व्य0प0/पत्रा0सं0-71/21-22 दिनांक 02.12.2021 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हरदोई के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर।

3- प्रस्तुतकर्ताअधिकारी/सहायक अभियंता ग्रा0अ0वि0 प्रखण्ड-हरदोई।

4- श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हरदोई द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in